न्यायालय सहायक कलेक्टर, आमेर मुख्यालय जयुपर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : अपर्णा शर्मा RAS

नियमित वाद संख्या 641/2008 वाद प्रस्तुति दिनाक : 26.08.1996

1. हणमान सहाय
2. हरसहाय
3. सूरजमल

पुत्रान धन्ना जाति मीणा निवासी जयरामपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

.... वादीगण

बनाम

1. बाबूलाल
2. सूरवीर

पुत्रान स्व0 गोपी मीणा निवासी ग्राम जयरामपुरा तहसील आमेर जयपुर।

3. सन्तोष धर्मपत्नी स्व0 बंशी
4. विनोद पुत्र बंशी } नाबालिक जरिये संरक्षिका माता सन्तोष
5. मनोज पुत्र बंशी }
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर

..........प्रतिवादीगण

<u>राजस्व वाद बाबत घोषण एवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>

निर्णय दिनांकः– 07.01.2022

उपस्थिति :– (1) अधिवक्ता श्री गोविन्द सिंह धाबाई – वादीगण की ओर से
(2) प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है, वादीगण ने वाद पत्र में अंकित यह किया गया है कि वादीगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 857 रकबा 6 बीघा जिसके मौजूदा भू प्रबन्ध में ख.न. 1425 रकबा 0.09 एयर 1426 रकबा 1.39 हैक्टेयर, 1427 रकबा 0.88 एयर 1428 रकबा 0.18 एयर कुल 4 रकबा 2.46 हैक्टेयर वाके मौजा जयरामपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित है, जिसकी खातेदारी में वादीगण के पिता का 1/2 भाग शेष 1/2 भाग प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के पिता गोपी प्रतिवादी न0 3 के पति प्रतिवादी न0 4 व 5 के पिता के नाम राजस्व अंकन हो गया है यद्यपि गोपी का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा। गोपी ग्राम चतरपुरा रहता था। जयरामपुरा या विवादित जमीन से कोई तालूक उक्त गोपी नहीं रहा था। वादीगण बतौर मालिक काबिज होकर फायदा ले रहे है खसरा नम्बर 1425 मे वादी नम्बर 2 का पुख्ता मकान , खसरा नम्बर 1427 में वादी नम्बर 3 का पुख्ता मकान, खसरा नम्बर 1426 में वादी नम्बर 1 का मकान व गुवाडी रियायशी बुजुर्गो के समय से बनी हुई है। रियायशी पुश्तेनी है।

धोकल गोपी का पिता, सवता का लडका ... जीतपुरा का निवासी था व सालगा के धोकल पिता गोपी ग्राम चतरपुरा में आ..., जयरामपुरा में कभी नहीं रहा।

गोपी पुत्र धोकल नाम गलत राजस्व अंकन ... गोपी पुत्र धोकल नामक व्यक्ति का कभी विवादित जमीन पर कब्जा नहीं रहा। गोपी ... धोकल मात्र वादीगण के पिता की नाबालिगी में चौकीदारी ग्राम जयरामपुरा में करता था।

गोपी पुत्र धोकल व उसके बाद प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 व दीगर प्रतिवादीगण का विवादित जमीन या जमीन के हिस्से मिलकियत या कब्जे से कोई हक हिस्सा या ताल्लूक नहीं रहा, न कभी गोपी प्रतिवादीगण ने हक या कब्जा क्लेम ही किया व गलत राजस्व अंकन को दुरूस्त करवाकर वादीगण के हक में खातेदारी दर्ज करवाने का आश्वासन देते

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:02:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

रहे। भू–प्रबन्ध के दौरान वादीगण व प्रतिवादीगण ने प्रयत्न भी किया मगर बिना अदालत के आदेश के राजस्व अंकन सही करना सम्भव नही बतलाया गया।

वादीगण व वादीगण के पिता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के लागू होने के पूर्व से बतौर खातेदार काबिज होकर एकमात्र कब्जा काश्त में है, गिरदावरी भी वादीगण व वादीगण के नाम काश्त अंकित है। वादीगण व वादगण के पिता ने ही लगान सरकारी बतौर खातेदार काश्तकार अदा किया है। वादीगण बतौर खातेदार 12 साल से ज्यादा भूमि पर कब्जा मुखलफाना काबिज है।

वादीगण ने अपने दावे के समर्थन में दस्तोवज साक्ष्य में कुर्सीनामा जागा, सरपंच की रिपोर्ट, लगान की रसीदे एवं नकल बंदोबस्त मौजा जयरामपुरा निजामत आमेर राज सवाई जयपुर सवंत 1987 जिसमें वादीगण के ताउ गोपाल्या वल्द धोकला के नाम खुद कास्त अंकित है जमाबंदी 2005 में गोपी धन्ना वल्द धोकला जयरामपुरा प्रस्तुत की है गिरदावरी सवंत 2008 से 2019 व 2032 से बदस्तुर पेश की है जिसमें विवादित आराजीयात वादीगण के ताउ गोपाल्या उर्फ गोपी पुत्र धोकला नि0 जयरामपुरा के नाम दर्ज है नक्शा संवत 2052 का पेश किया है खसरा नम्बर 805 सवंत 1987 रकबा 9 बीघा 7 बिस्वा की नये खसरा नम्बर 857 बने हैं मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत किया है।

वादीगण ने याचित किया है कि वादीगण को एकमात्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा कुल आराजीयात की खातेदारी का अंकन वादीगण के नाम किया जाए व प्रतिवादीगण का नाम खातेदारी से हजफ किया जाए।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया। प्रतिवादीगण ने दिनांक 21.01.1997 को जवाब दावा पेश किया जिसमें अंकित किया कि वादीगण के पिता धन्ना व प्रतिवादीगण के पिता गोपी एक ही पिता धौकल की संतान थे। अतः विवादग्रस्त भूमि पर दोनो का समान हक है। वादीगण ने जवाब उल जवाब में निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्व में अलग कि आराजी विवादित भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता गोपी के हिस्से के काबिज खातेदार काश्तकार थे उन्ही की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्रगण वारिसान निस्फ हिस्से के काबिज काश्तकार है। वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 निस्फ निरूफ हिस्से के काबिज सहकृषक है। Adverse Possesion का जिक्र बिल्कुल असत्य हैं। उपरोक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के बुजुर्गो के खाते व कब्जे की थी, माफी मे थी, खुदकाश्त में थी और सरकारी कागजात में संवत 2004–23 में बंदोबस्त में इस प्रकार का इन्द्राज हो रहा है। प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा मय CounterClaim पेश किया। वादीगण द्वारा जवाब उल जवाब व CounterClaim प्रस्तुत किया गया।

प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 14.3.2018 को प्रतिवादी संख्या (3,4,5,6,) के विरूद्व व दिनांक 08.09.2021 को 1 व 2 के विरूद्व की गई।

प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत CounterClaim अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाकर दावे में निम्न विवाद्यक तनकी कायम की गई:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:02:03 IST
Reason: SelfAttested

तनकी – 1

आया वादीगण वादपत्र की मद संख्या [illegible] वर्णित आराजी के 1/2 भाग जो कि प्रतिवादीगण के पिता गोपी पुत्र [illegible] के हिस्से का नाम हजफ कर वादीगण अपने हक में खातेदार काश्तकार की घोषणा करने पाने के अधिकारी है ?

– वादीगण

सहायक कलक्टर
आमेर म. जयपुर

Scanned with CamScanner

तनकी – 2

आया वादीगण वाद पत्र के मद संख्या 2 में उल्लेखित कृषि भूमि को विवादित 1/2 भाग की कब्जा मुखालफाना के आधार पर प्रतिवादीगण का नाम दुरूस्त कर , इस आशय का अंकन अपने हक में राजस्व रिकॉर्ड के करा पाने का अधिकारी है ?

– वादीगण

तनकी –3

आया वादीगण वादपत्र की मद संख्या 2 मे वर्णित आराजीयात के कब्जे काश्त में व्यवधान हेतू प्रतिवदीगण के विरूद्ध स्थायी निषेघाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है?

– वादीगण

तनकी – 4

आया प्रतिवादीगण विवादित आराजीयात् के निस्फ हिस्से पर संवत् 2004 के पूर्व से पूश्तेनी तौर पर सहकृषक काबिज है तथा काश्त करते है ?

– प्रतिवादीगण

तदुपरान्त साक्ष्य वादीगण हेतु वादी पक्ष द्वारा निम्न लिखित साक्ष्य को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया।

1. PW1 सुरजमल पुत्र धन्ना निवासी जयरामपुरा
2. PW2 लालचन्द पुत्र भुराराम मीणा निवासी नांगलपुरोहित
3. PW3 गुल्लाराम पुत्र नाथुराम निवासी गजाधरपुरा तहसील झोटवाडा
4. PW4 हनुमानसहाय पुत्र धन्ना मीणा निवासी जयरामपुरा

अभिलेख साक्ष्य में निम्नांकित दस्तावेजात् प्रस्तुत किये गये।

1. प्रमाणित प्रति ना0 संख्या 422 दिनांक (22.09.1977) – प्रदर्श 1
2. प्रमाणित प्रति जमाबन्दी खसरा नम्बर 857 (संवत 2035–38)– 1978 –प्रदर्श 2
3. प्रमाणित प्रति मिलान क्षेत्रफल मिसल –प्रदर्श 3
4. मिसल हकीकत 805 (1987) – प्रदर्श 4
5. जमाबन्दी खसरा नम्बर 857 2011–14 – प्रदर्श 5
6. नक्शा खसरा नम्बर 857 (1952) – प्रदर्श 6
7. खसरा गिरदावरी 2008–19 –प्रदर्श 7
8. मूल बिजल कनेक्शन रशीद 3–2–86– प्रदर्श 8
9. मूल लगान रशीदे किता 24 – प्रदर्श 11–33
10. मूल संरपंच का कब्जापत्र – प्रदर्श 8
11. मूख्य अखिल भारतीया अबेण्डकर पत्र –प्रदर्श 9
12. निर्णय डीसी 06.08.2010
13. निर्णय डीसी 10.08.2010 – प्रदर्श 35 (एसडीओ)
14. निर्णय डीसी 10.08.2010 – प्रदर्श 36(एडी[illegible]
15. जमाबन्दी संवत 2073–20[illegible]
16. बिजल बिल मूल अगस्त 2[illegible] प्रदर्श [illegible]
17. प्रदर्श 40 निर्णय 31.07.2006
18. प्रदश 41 निर्णय 16.11.2000

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:02:03 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो जाने से एकपक्षीय बहस सुनी गई तथा तनकीयात् निम्नानुसार निर्णित की जाती है।

सहायक कलक्टर

Scanned with CamScanner

तनकी संख्या 1 आया वादीगण वादपत्र की मद संख्या 2 में वर्णित आराजी के 1/2 भाग जो कि प्रतिवादीगण के पिता गोपी पुत्र धोकल निवासी चतरपुरा के हिस्से का नाम हजफ का वादीगण अपने हक में खातेदार काश्कार की घोषणा करा पाने के अधिकारी है ?

— **वादीगण**

खातेदारी अधिकार के लिए यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति लगातार काश्त कर रहा हो मात्र मौखिक आधार पर जमाबन्दी के रिकॉर्ड को गलत नहीं माना जा सकता है। RRD 2003 page 223, RLW 2003 (1) Page 597 वर्षो से चले आ रहे खातेदार की खातेदारी बिना ठोस आधार पर समाप्त नहीं कि जा सकती। गोपी पुत्र धौकल नाऔलद फॉत हुआ हो और प्रतिवादीगण का उक्त गोपी पुत्र धोकल से संबंध ना रहा हो। इस बात को केवल इस आधार पर साबित नहीं माना जा सकता की प्रतिवदीगण उस गांव में नहीं रहते है। वादीगण ने वाद पत्र में या साक्ष्य से यह सिद्व नहीं किया है कि रिकॉर्ड में दर्ज गोपाल्या वल्द धौकल्या का वादीगण से क्या संबंध था और उक्त गोपाल्या के वारिस वादीगण किस प्रकार है। ना ही यह साक्ष्य दिया गया कि प्रतिवादीगण गोपाल्या के वारिस नहीं है, ना ही गोपाल्या वल्द धोकल्या ना औलाद फौत हुआ हो। ऐसा कोई साक्ष्य पेश किया हो । वादीगण को दावा स्वयं सिद्व करना होता है।

तनकी संख्या 2 आया वादीगण वाद पत्र के मद संख्या 2 में उल्लेखित कृषि भूमि को विवादित 1/2 भाग की कब्जा मुखालफाना के आधार पर प्रतिवादीगण का नाम दुरूस्त कर। इस आशय का अंकन अपने हक में राजस्व रिकॉर्ड के करा पाने का अधिकारी है ?

— **वादीगण**

वादीगण ने जहां तक प्रतिकुल कब्जे का प्रश्न है, प्रतिकुल कब्जा जमीन मालीक के खिलाफ होता है, जहां मालिक के प्रतिकुल कब्जा निरन्तर बनाये रखा है। जबकि दूसरी ओर वादीगण ने वादपत्र में प्रतिवादीगण का नाम गलत दर्ज हाने का कथन किया है जो परस्पर विरोधि अनुतोष है। RRD 2009 page 259 में प्रतिपादित फैसले में कहां है कि स्वयं का वास्तविक खातेदार एवं ADVERSE POSSESSION के आधार पर अनुतोष नहीं मांगा जा सकता है। RRT 2011 (2) page 721, RRD 2011 page 508, RRT 2011 page 834 पर प्रकाशित निर्णयो से हम सहमत है कि प्रतिकुल कब्जे के आधार पर काश्तकारी अधिनियम मे अधिकार प्रदान करने का प्रावधान नहीं है। तथा नया कानून प्रतिपादित करने की रेवेन्यु कोर्ट को विधायी शक्ति प्राप्त नहीं है। प्रतिकुल कब्जे के आधार पर काश्तकारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते।

तनकी संख्या 3 आया वादीगण वादपत्र की मद संख्या 2 मे वर्णित आराजीयात के कब्जे काश्त में व्यवधान हेतू प्रतिवदीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

— **वादीगण**

तनकी संख्या 1, तनकी संख्या 2 के विवेचन के आधार पर तनकी संख्या 3 वादीगण के विरूद्व निर्णित कि जाती है।

तनकी संख्या 4 आया प्रतिवादीगण विवादित आराजी [illegible] के निस्फ हिस्से पर संवत् 2004 के पूर्व से पूश्तेनी तौर पर सहकृषक [illegible] करते है ?

— **प्रतिवादीगण**

प्रतिवादीगण की एक पक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है , प्रतिवादीगण ने ना ही पूर्व में कोई साक्ष्य व सबूत पेश किये है। अतः साक्ष्य व सबूत के अभाव में तनकी संख्या 4 प्रतिवादीगण के विरूद्व की जाती है।

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:02:03 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

निर्णय

उपरोक्तानुसार तनकी संख्या 1 लगायत 3 वादीगण के विरूद्व निर्णित होने से वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:02:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
पीठासीन अधिकारी: अपर्णा शर्मा RAS

नियमित वाद संख्या 641/2008 वाद प्रस्तुति दिनाक : 26.08.1996

1. हणमान सहाय
2. हरसहाय
3. सूरजमल

पुत्रान धन्ना जाति मीणा निवासी जयरामपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

.... वादीगण

बनाम

1. बाबूलाल
2. सूरवीर

पुत्रान स्व0 गोपी मीणा निवासी ग्राम जयरामपुरा तहसील आमेर जयपुर।

3. सन्तोष धर्मपत्नी स्व0 बंशी
4. विनोद पुत्र बंशी } नाबालिक जरिये संरक्षिका माता सन्तोष
5. मनोज पुत्र बंशी }
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर

..........प्रतिवादीगण

राजस्व वाद बाबत घोषण एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वादीगण द्वारा तनकी 1 लगायत 3 साबित नहीं किये जाने से तनकी संख्या 1 लगायत 3 वादीगण के विरूद्व निर्णित होने पर वाद वादी ग्राम जयरामपुरा तहसील आमेर में स्थित आराजीयात खसरा नम्बर 857 रकबा 6 बीघा जिसके मौजूदा भू प्रबन्ध में ख.न. 1425 रकबा 0.09 एयर 1426 रकबा 1.39 हैक्टेयर, 1427 रकबा 0.88 एयर 1428 रकबा 0.18 एयर कुल 4 रकबा 2.46 हैक्टर वाद वादी खारिज किया जाता है।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 07.01.2022 को जारी किया ।

दस्तखत---
ओहदा---

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर

मुददई	रूपये	पैसे	मुददायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	—	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	—
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित	4 रूपये		मुतफरित	4 रूपये	
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:02:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner